बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना–01, दिनांक–

संख्या–1/श्रम न्याय–01/2024 श्र०सं०......................../विभागीय अधिसूचना सं० 113 दिनांक 24.02.2025 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 2073 दिनांक 04.02.2025 एवं अधिसूचना सं० 2074 दिनांक 04.02.2025 के आलोक में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–7(2) के साथ पठित धारा–8 के अन्तर्गत पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना एवं पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त क्रमशः श्री मनोज कुमार सिन्हा एवं श्री किशोर प्रसाद की प्रतिनियुक्ति से संबंधित सेवा शर्त्तें निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है :–

(i) श्री मनोज कुमार सिन्हा, पीठासीन पदाधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना एवं श्री किशोर प्रसाद, पीठासीन पदाधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर की प्रतिनियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन (03) वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिए रहेगा।

(ii) श्री मनोज कुमार सिन्हा एवं श्री किशोर प्रसाद का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प सं०–1434, दिनांक 09.3.2000 के अन्तर्गत किया जायेगा। उक्त प्रावधान के अनुसार अन्तिम प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटाये जाने पर जो राशि बचेगी, वही राशि उन्हें वेतन के रूप में अनुमान्य होगी।

(iii) सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार के सेवकों की भाँति मकान किराया भत्ता देय होगा।

(iv) सरकारी सेवकों की भाँति समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ता देय होगा।

(v) सरकारी सेवकों की भाँति चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता देय होगा।

(vi) सरकारी सेवकों की भाँति यात्रा भत्ता देय होगा।

(vii) श्री मनोज कुमार सिन्हा एवं श्री किशोर प्रसाद की सेवायें एक महीने की पूर्व नोटिस देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

(viii) श्री मनोज कुमार सिन्हा का मुख्यालय पटना तथा श्री किशोर प्रसाद का मुख्यालय, मुजफ्फरपुर रहेगा।

(ix) श्री मनोज कुमार सिन्हा, पीठासीन पदाधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना में कार्यरत कर्मचारियों तथा श्री किशोर प्रसाद, पीठासीन पदाधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनादि के निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव

office order S.T-277

ज्ञापांक–1 / श्रम न्याय–01 / 2024 श्र०सं० ......21...... / पटना, दिनांक–21/5/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ) / महालेखाकार, बिहार, पटना / महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी / मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / श्रमायुक्त बिहार, पटना / निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना / सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार / सभी उप श्रमायुक्त, बिहार / श्री मनोज कुमार सिन्हा, पीठासीन पदाधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना / श्री किशोर प्रसाद, पीठासीन पदाधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर / आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.5.25

सरकार के संयुक्त सचिव

office order s.t-279